

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक 21.05.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 84/2025

GCMS NO :- 2023/178

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


उन्वान :- भगवानी देवी बनाम राज0 सरकार

:-आदेश:-

दिनांक : 21.05.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना खुर्द की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मैनाना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 26, 65 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनाना	खाता संख्या 26, 65	भगवानी पुत्री श्योनारायण कमला पुत्री श्योनारायण सुशीला पुत्री श्योनारायण शेरसिंह पुत्र श्योनारायण सोनड़ी पत्नी श्योनारायण	भगवानी देवी पुत्री श्योनारायण कमला देवी पुत्री श्योनारायण सुशीला देवी पुत्री श्योनारायण सुमेरसिंह पुत्र श्योनारायण सोनी देवी पत्नी श्योनारायण



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- 21/5/25

क्रमांक :- राजस्व/2025/401

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. भगवानी देवी पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

